न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः 325/2019 (जीसीएमएस 2019/00279)

1. किशनलाल पुत्र बाल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील साँगानेर हाल निवासी ग्राम लाखना, तहसील साँगानेर, जिला जयपुर।

----अपीलांट

बनाम

1. जयसिंह दत्तक पुत्र कान्या जाति बैरवा निवासी 6, इन्दिरा कॉलोनी ग्राम रामनिवास तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
2. श्रीमती संतरादेवी तथाकथित पुत्री लादिया धर्मपत्नी रामचन्द्र जाति बैरवा, निवासी ग्राम बाढ़ महावतान, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील साँगानेर, जिला जयपुर।

----रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 28.09.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2013 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम सीतारामपुरा तहसील साँगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खाता सं. 63 में अंकित खसरा नं. 466, 467, 470, 471, 495/592, 497, 498, 499/593, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511 कुल किता 18 कुल रकबा 3.05 हैक्टेयर तथा खाता सं. 10 में अंकित खसरा नं. 410, 421, 422 कुल किता 3 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर ग्राम सीतारामपुरा तहसील साँगानेर जिला जयपुर स्थित के हिस्सा 1/2 के खातेदार कान्या पुत्र लादिया थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 19.01.2007 को नाऔलाद हो गया जिनके प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं होने पर द्वितीय श्रेणी के वारिसान मृतक के पिता का भाई अपीलांट होने से अपीलांट के नाम प्रशासन गाँवों के संग अभियान में नायब तहसीलदार साँगानेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या. 113 दिनाँक 18.02.2013 को स्वीकृत किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनाँक 04.04.2013 को रेस्पोडेंट सं. 01 व 02 द्वारा तहसीलदार तहसील साँगानेर के समक्ष नामान्तरकरण सं. 113 स्वीकृत दिनाँक 18.02.2013 में एक रिव्यू/नजरसानी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी सं. 01 पिता व 02 कान्या के पिता लादिया के देहान्त के पश्चात् उसकी माँ नारायण देवी ग्राम लाखना तहसील साँगानेर से ग्राम रामनिवास तहसील चाकसू जिला जयपुर के निवासी गंगाराम के साथ नाते गई और अपने साथ मृतक खातेदार कान्या व प्रार्थी सं. 02 हाल रेस्पोडेंट सं. 02 को ले गयी तभी से कान्या व प्रार्थी सं. 02 अपनी माँ के साथ ग्राम रामनिवास तहसील चाकसू जिला जयपुर में रहा। वहाँ पर प्रार्थी सं. 02 का विवाह माता व भाई कान्या ने किया अप्रार्थी सं. 02 अपने ससुराल में रह रही है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार कान्या पुत्र लादिया का देहान्त होने के कारण प्रार्थीया उनके वारिस होने से वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई। प्रार्थीगण ने कान्या की विरासत का नामान्तकरण खुलवाने के लिए दिनाँक 05.03.2013 को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तकरण खुलवाने के लिए हल्का पटवारी से संपर्क किया तो नामान्तरकरण सं. 113 दिनाँक 18.02.2013 किशनलाल के हक में खोलने बाबत् पटवारी हल्का ने जाहिर किया जिस पर नजरसानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिससे नजरसानी प्रार्थना–पत्र में आपत्तियां की गयी कि न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आदेश पारित किये है प्रश्नाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व विरासत की नियमानुसार जाँच नहीं की गयी जो तहसीलदार चाकसू या ग्राम पंचायत समिति चाकसू से करवानी चाहिए थी। उक्त नामान्तरकरण प्रार्थीया को नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है, इसलिए प्रश्नाधीन आंदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अप्रार्थी–अपीलांट ने नजरसानी याचिका का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी अपीलांट कान्या के पिता लादिया का सगा भाई है, लादिया के जीवनकाल में लादिया की पत्नी नारायणी देवी दो माह के बच्चा (कान्या) को लेकर गंगाराम निवासी ग्राम रामनिवासपुरा, तहसील चाकसू के नाते चली गयी लादया के फौत होने तक लादिया के मात्र कान्या ही पुत्र था अर्थात् लादिया व नारायणी के दाम्पत्य जीवन से केवल मात्र कान्या ही उत्पन्न हुआ था। प्रार्थी सं. 02 संतरा देवी गंगाराम व नारायणी देवी के दाम्पत्य जीवन से उत्पन्न हुई है। संतरा देवी लादिया की पुत्री नहीं है, कान्या ने जयसिंह को कभी गोद नहीं लिया, बल्कि रामस्वरुप को गोद लिया था इसलिए कान्या पुत्र लादिया के विरासत में प्रार्थीया के हक होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए प्रार्थीया का नजरसानी प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 10 प्रस्तुतकर निवेदन किया है अपीलांट के हक में स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 113 दिनाँक 18.02.2013 के संबंध में जो जाँच अभिलेख तैयार किये गये है, उन्हें तहसील कार्यालय से तलब करने के आदेश प्रदान किये जावे जिससे नजरसानी प्रकरण का निस्तारण सही रुप से हो सके।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय साँगानेर द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेंट के द्वारा रिव्यू/नजरसानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दिनाँक 04.04.2013 को मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी एवं तहसीलदार चाकसू से वारिसान की सूचना प्राप्त की गयी जो दिनाँक 24.04.2013 को तहसीलदार चाकसू द्वारा वारिसान की सूचना भेजी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार चाकसू द्वारा प्राप्त रिपोर्ट जिसमें लादिया के पुत्र कान्या को अविवाहित फौत तथा संतरा पुत्र अंकित किया गया तथा जयसिंह पुत्र बाबूलाल को दत्तक पुत्र कान्या उर्फ रामेश्वर अंकित किया गया। उक्त तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेंट की नजरसानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया तथा कान्या की विरासत में तथाकथित दत्तक पुत्र जयसिंह का नाम दर्ज कर सक्षम अधिकारी से तस्दीक के आदेश पारित किये गये जो धारा 86 एल.आर. एक्ट में वर्णित रिव्यू प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रिव्यू/नजरसानी प्रार्थना–पत्र द्वारा कोई एरर अपारेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं बताया फिर भी सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनाँक 03.05.2013 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 113 दिनांकं 18.02.2013 में अनेकों ऐसी स्पष्ट त्रुटिया है जिनके आधार पर नामान्तरकरण निरस्त किया जाने योग्य था। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के भाई कान्या वल्द लादिया की विरासत का प्रश्नाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व उसकी विरासत की नियमानुसार जॉच उसके पूर्व निवास स्थान ग्राम रामनिवास तहसील चाकसू जिला जयपुर में तहसीलदान चाकसू या ग्राम पंचायत छांदेलकलां से करवानी चाहिये थी क्योंकि वे आज से लगभग 30–35 वर्ष पूर्व ग्राम लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर को छोड़कर वहॉ पर निवास करने लगे थे जबकि वादग्रस्त नामान्तरकण स्वीकार करने से पूर्व उक्त जॉच नही करवाई गई। उक्त त्रुटि पत्रावली के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट होती है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रश्नाधीन नामान्तरकरण को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज करने के पश्चात् भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तुलना की गई तत्पश्चात् तहसीलदार ने पटवारी/भू अभिलख निरीक्षक वाटिका पुनः जॉच कर पेश करने का आदेश दिया था तत्पश्चात् बिना जॉच करें ही हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष नामान्तरकरण पेश किया जिस पर पुनः दस्तावेज पूर्ण नही होने पर स्वीकृत नही किया गया किन्तु अचानक बिना जॉच के नामान्तरकरण संख्या 113 स्वीकृत फरमा दिया गया जो त्रुटि पत्रावली के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट होती है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रश्नाधीन नामान्तरकरण पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु रेस्पोडेन्ट को किसी नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होने के बावजूद एकपक्षीय प्रश्नाधीन नामान्तरकरण को स्वीकार किया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय था। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण की रेस्पोडेन्ट को जानकारी होने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र याचिका पेश की गई है जिस पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2013 पारित किया गया है जिसमें कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र के माध्यम से केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त कराया जा सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकण संख्या 113 दिनांक 18.02.2013 को स्वीकार किया गया है जिसके के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील ना कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2013 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2013 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर